भारत सरकार
मत्स्य, पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय
(पशुपालन एवं डेयरी विभाग)
केन्द्रीय भेड़ प्रजनन फार्म,
पोस्ट बाक्स संख्या 10
हिसार (हरियाणा)

संख्याः 28–1/2017–18/स्था./80-81 दिनांकः 5/3/2020

परिपत्र

जैसा की समाचार पत्रों में कोरोना वायरस फैलने की खबर दिन–प्रतिदिन देखने को मिल रही है। अतः इस वायरस से बचाव में फार्म पर कार्यरत कर्मचारियों को सूचित किया जाता है कि निम्न बातों को ध्यान में रखें:–

1. बीमार लोगों के सम्पर्क मे आने से बचें।
2. दिन में कई बार नियमित तौर पर साबुन व पानी से हाथों को 20 सैंकिंड तक धाये। बैक्टीरिया मारने वाले अच्छे सैनिटाईजर का भी प्रयोग कर सकते है।
3. उचित दूरी बनाकर रखे। अपने आस–पास के लोगों के साथ कम से कम तीन फुट की दूरी का फासला बनाये रखने की कौशिश करें। खासतौर से उस व्यक्ति से जिसे खांसी या जुखाम हो।
4. नाक, मुंह और आंखों को बार–2 न छुये।
5. छिंकते समय टिशू पेपर या रूमाल का इस्तेमाल करें।
6. बुखार, खांसी जुकाम को हल्के में न लें।
7. फार्म पर किसी भी शैड में जाने से पूर्व अपने हाथों को सैनिटाईजर से धोयें तथा मुंह पर मास्क लगाकर शैड में जाये।
8. किसी भी बाहरी व्यक्ति का फार्म पर ऐहतियात के तौर तुरंत आना–जाना बन्द कर दें।
9. फार्म पर जितने भी बाहर से अन्दर जाने के गेट है उन पर तुरंत प्रभाव से चूना डालें।
10. शव परीक्षण के पश्चात् शव का निपटान वैज्ञानिक ढंग से करें ताकि आवारा जानवर के संपर्क में आने से बचा जा सके।
11. अगर कोई विदेशी व्यक्ति फार्म पर आ रहा हो तो उसे गेट के बाहर ही रोक दें तथा अधोहस्ताक्षरकर्त्ता को इस बाबत सूचित करें।

उपरोक्त निर्देशों का तुरंत प्रभाव से कड़ाई से पालना करें।

(डा0 ए0 के0 मल्होत्रा)
निदेशक प्रभारी

वितरणः–
1. सभी अनुभाग प्रभारी एवं नोटिस बोर्ड केन्द्रीय भेड़ प्रजनन फार्म, हिसार।
2. उपायुक्त (SR&MP), भारत सरकार, मत्स्य, पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय, पशुपालन एवं डेयरी विभाग, कृषि भवन, नई दिल्ली को सूचनार्थ हेतू प्रेषित है।